An Roinn Gnóthaí Fostaíochta
agus Coimirce Sóisialaí
Department of Employment Affairs
and Social Protection

झूठा स्व-रोजगार

छद्म स्व-रोजगार का एक संक्षिप्त अवलोकन यहाँ पर इन जानकारियों के साथ प्रदान किया गया है , कि यह आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, और अन्य उपयोगी सेवाओं के लिंक के साथ-साथ विभाग कैसे इस स्थिति में मदद कर सकता है, यह भी यहाँ बताया गया है।

छद्म स्व-रोजगारक्या है?

छद्म स्व-रोजगार एक रोजगार संबंध है जो एक ऐसे परिदृश्य को बताता है कि एक व्यक्ति स्व-नियोजित होता है, जबकि वास्तव में, वह एक व्यापार या कॉर्पोरेट संरचना में प्रत्यक्ष कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा होता है।

पीआरएसआई क्या है?

अधिकांश नियोक्ता और कर्मचारी (16 से अधिक और 66 वर्ष से कम आयु के) सामाजिक बीमा कोष में पे रिलेटेड सोशल इंश्योरेंस (पीआरएसआई) में अपना योगदान देते हैं। इस धन का उपयोग सामाजिक सुरक्षा भुगतान को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है।

अधिकांश लोग जो नियोजित और स्वयं-नियोजित हैं, पीआरएसआई की एक ही व्यक्तिगत दर से इसके लिए भुगतान करते हैं, जो आपकी आय का 4 प्रतिशत है। कर्मचारियों के लिए, हालांकि, नियोक्ता 10.85 प्रतिशत तक का अतिरिक्त पीआरएसआई योगदान देता है। यदि आपको स्व-नियोजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो आपके लिए कोई नियोक्ता पीआरएसआई योगदान नहीं देता है क्योंकि आप अपने लिए काम करते हैं।

डिपार्टमेंट से लोगों, जो कि पीआरएसआई का भुगतान करते हैं, तक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इन लाभों को पाने का आपका अधिकार निम्न पर निर्भर करता है:

- आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली पीआरएसआई क्लास और

- सामाजिक कल्याण योजना की शर्तों को संतुष्ट करना।

इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि आप किस पीआरएसआई क्लास में भुगतान करते हैं और जो काम आप करते हैं उसके लिए भी यह बात सही है।

अलग-अलग पीआरएसआई क्लास हैं। अधिकांश निजी क्षेत्र के कर्मचारी और कुछ सरकारी कर्मचारी क्लास ए पीआरएसआई का भुगतान करते हैं । यदि आप स्व-नियोजित हैं, तो आप क्लास एस पीआरएसआई का भुगतान करते हैं।

छद्म स्व-रोजगार के क्या परिणाम हैं ?

रोजगार या स्व-रोजगार के रूप में आपके काम को सही ढंग से वर्गीकृत करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन लाभों और सामाजिक कल्याण भुगतानों पर प्रभाव डालता है जिनके लिए आप हकदार हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको स्व-नियोजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो आप जॉब सीकर्स बेनिफिट के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं (हालांकि आप जॉब सीकर्स भत्ते के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं) या आप एक अवकाश आधारित वेतन के हकदार नहीं हो सकते हैं। यह रोजगार अधिकार कानून के तहत आपके अधिकारों, उदाहरण के लिए, सांविधिक न्यूनतम वेतन दरों के लिए पात्रता, पेस्लिप प्राप्त करना, रेस्ट ब्रेक, सार्वजनिक अवकाश और वार्षिक छुट्टी अधिकार और अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा आदि पर भी प्रभाव डालता है।

अगर मुझे विश्वास है कि यह मेरी स्थिति है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपको लगता है कि आप छद्म स्व-नियोजित हो सकते हैं, तो आप विभाग के स्कोप सेक्शन (नीचे संपर्क विवरण दिए गए हैं) से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें सामाजिक कल्याण समेकन अधिनियम 2005 (संशोधित के रूप में) के तहत आपके रोजगार की स्थिति को निर्धारित करने का कानूनी अधिकार निहित है।

अगर मैं नियोक्ता हूं तो क्या होगा?

नियोक्ता भी इस निर्धारण के लिए विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

रोजगार की स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले मानदंड क्या हैं ?

“नियोजित” और “स्व-नियोजित” शब्द कानून में परिभाषित नहीं हैं, हालांकि, अदालतों द्वारा इनके संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। निर्धारण करने के लिए विभाग आपके और उस कंपनी, जिसके लिए आप काम करते हैं, के बीच किये जा रहे कार्यों और कार्य संबंध के प्रकार की वास्तविकता को देखता है। विभिन्न पक्ष अपने संबंध के विषय में क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है; यह महत्वपूर्ण है कि कार्य संबंधों की वास्तविकता क्या है।

नीचे दी गई सूची मानदंड प्रदान करती है जिनका उपयोग विभाग आपके रोजगार की स्थिति का निर्धारण करने के लिए करता है। यह सूची केवल मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए है। नियोजित या स्वयं-नियोजित के रूप में निर्धारित किए जाने के लिए आपको इन सभी मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ उपयोग किए गए मानदंडों पर और जानकारी देखें।

www.welfare.ie/en/downloads/codeofpract.pdf

एक व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त है:

- किसी अन्य व्यक्ति (नियोक्ता) के नियंत्रण में कार्य करता है;
- प्रति घंटा / साप्ताहिक / मासिक रूप से तय दिहाड़ी प्राप्त करता है;
- केवल श्रम की आपूर्ति करता है;
- काम को उप-अनुबंधित नहीं कर सकता ;
- ‘दायित्व की पारस्परिकता’ के अनुसार नियोजित है, जहाँ नियोक्ता काम देने के लिए बाध्य है और कर्मचारी काम करने के लिए बाध्य है;
- कार्य के लिए उपकरण / सामग्री की आपूर्ति नहीं करता है;
- बीमारी के समय वेतन / अवकाश के समय वेतन आदि का हकदार है;
- उसके नियोक्ता द्वारा बीमा कवर प्रदान किया जाता है;
- प्रति सप्ताह घंटों की एक निश्चित संख्या में काम करता है;
- क्या उसका कर पीएवाईई के तहत उसकी दिहाड़ी से काटा जाता है।

एक व्यक्ति, जो स्व-नियोजित रूप से कार्यरत है:

- अपने खुद के व्यवसाय का मालिक है;
- वित्तीय जोखिम का सामना करता है;
- काम को उप-अनुबंधित कर सकता है;
- ‘दायित्व की पारस्परिकता’ के आधार पर कार्य नहीं करता है और किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है;
- कार्य के लिए आवश्यक उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित करता है;
- लागतों और काम के एवज मिलने वाली कीमत से सहमत होता है;
- अवकाश के दौरान भुगतान का हकदार नहीं है;
- अपना बीमा कवर प्रदान करता है;
- कार्यों को पूरा करने में अपने स्वयं के समय-घंटों को नियंत्रित करता है;
- स्व-आकलन कर के लिए पंजीकृत है और उसे अपने कर रिटर्न दाखिल करने होते हैं।

जब मैं निर्धारण हेतु सहायता की प्रार्थना करता हूँ तो क्या होगा?

व्यक्ति के रोजगार की स्थिति की जांच करने के लिए मामलों को एक सामाजिक कल्याण निरीक्षक को संदर्भित किया जाता है। विभाग का स्कोप अनुभाग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट और व्यक्तियों के रोजगार या स्व-रोज़गार की स्थिति निर्धारित करने के लिए अभ्यास संहिता में निहित संकेतकों की पूरी श्रृंखला के आधार पर यह निर्धारण करता है।

अपने रोजगार की स्थिति निश्चित करना

अगर मुझे बताया गया है कि मैं स्व-नियोजित हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यह स्थिति रखता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?

अधिकतर मामलों में यह स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति नियोजित या स्वयं नियोजित है या नहीं। हालांकि, कुछ मामलों में यह हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी रोज़गार की स्थिति को और जांच की जरूरत है तो आपको विभाग के स्कोप सेक्शन से संपर्क करना चाहिए जो किसी व्यक्ति की रोज़गार की स्थिति,जो सवालों के घेरे में हो, का निर्धारण कर सकता है।

हमसे संपर्क करें:

स्कोप सेक्शन
रोजगार मामले और सामाजिक संरक्षण विभाग
गैंडन हाउस
एमियंस स्ट्रीट
डबलिन 1
आयरलैंड
डी 01 ए 361

टेल: (+353) 1 673 2585
ईमेल: scope@welfare.ie

स्कोप सेक्शन के कार्यों के विषय में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ विजिट करें: www.welfare.ie/Scope

स्कोप सेक्शन क्या कार्य करता है?

विभाग का स्कोप सेक्शन नियोक्ता, कर्मचारियों और स्वयं-नियोजित लोगों से संबंधित है, जो अपनी कार्य स्थिति का परीक्षण करवाना चाहते हैं ताकि सही पीआरएसआई क्लास लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। स्कोप सेक्शन के पास सामाजिक कल्याण समेकन अधिनियम 2005 (संशोधित) के तहत आपकी रोजगार स्थिति का निर्धारण करने का कानूनी अधिकार है।

स्कोप सेक्शन जांच के दौरान क्या होता है?

विभाग का स्कोप सेक्शन एक जांच शुरू करेगा और आपके मामले को एक सामाजिक कल्याण निरीक्षक (एसडब्ल्यूआई) को संदर्भित करेगा जो आपके रोजगार / स्व-रोज़गार की प्रकृति के विषय में आपका और आपके नियोक्ता दोनों का अलग-अलग साक्षात्कार लेगा। इसके बाद,

एसडब्ल्यूआई औपचारिक निर्धारण करने के लिए स्कोप सेक्शन को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जांच में मुझे क्या भूमिका निभानी होगी?

आपको अपने मामले का समर्थन करने के लिए कुछ जानकारियाँ प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। इनमें लिखित अनुबंध, दिहाड़ी पर्चियाँ और कर्तव्यों और निर्देशों की सूचियाँ शामिल हो सकती हैं। आपके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली कोई भी जानकारी विभाग के स्कोप सेक्शन को इस हेतु निर्धारण करने में मदद करेगी।

आपके नियोक्ता से भी लिखित अनुबंध, खाते और दिहाड़ी संबंधी आलेख, और जांच में सहायता के लिए वार्षिक रिटर्न जैसे सहायक दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

क्या होगा जब स्कोप सेक्शन अपने निर्धारण की प्रक्रिया करता है?

यदि निर्धारण पुष्टि करता है कि आप सही ढंग से नियोजित या स्वयं रोजगार प्राप्त हैं, और पीआरएसआई की सही कक्षा आपके लिए भुगतान की गई है, तो विभाग द्वारा आगे की किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

यदि निर्धारण पुष्टि करता है कि आप त्रुटिपूर्ण ढंग से स्व-नियोजित हैं, और आपके लिए पीआरएसआई की गलत कक्षा वापस कर दी गई है, तो विभाग आपके पीआरएसआई योगदान रिकॉर्ड में संशोधन करेगा। यह संशोधन तब भी किया जाएगा जब वह कंपनी, जिसने आपको नियोजित किया है, अपना व्यापार बंद कर चुकी हो।

क्या एक स्कोप सेक्शन निर्धारण के विषय में अपील की जा सकती है?

सभी स्कोप सेक्शन निर्धारण प्रक्रियाओं के विषय में किसी भी पार्टी द्वारा अपील की जा सकती है। निर्धारण की तारीख के 21 दिनों के भीतर सामाजिक कल्याण अपील कार्यालय के लिए अपीलों को लिखित रूप में भेजा जाना चाहिए।

अपील कार्यालय रोजगार मामलों और सामाजिक सुरक्षा विभाग से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और इसका प्रमुख मुख्य अपील अधिकारी होता है। इसके अपने अपील अधिकारी हैं जो अपने निर्णय लेने की भूमिका में स्वतंत्र हैं।

मुख्य अपील अधिकारी
सामाजिक कल्याण अपील कार्यालय
डी 'ओलीर हाउस
डी 'ओलीर स्ट्रीट
डबलिन 2

दूरभाष: (+353) 1 6732800

www.socialwelfareappeals.ie

कार्यस्थल संबंध आयोग (डब्ल्यूआरसी) की भूमिका क्या है?

कार्यस्थल संबंध आयोग आयरिश रोजगार और समानता कानून के तहत औद्योगिक संबंध अधिकारों और दायित्वों पर सूचना प्रदान करता है।

आपके अनुबंध के अनुसार, यदि आपको लगता है कि आप एक कर्मचारी

हैं और रोजगार अधिकारों या समानता मामलों के संबंध में आपसे कैसे व्यवहार किया जा रहा है इस संबंध में आपको शिकायत है, तो आप इसे कार्यस्थल संबंध आयोग के संज्ञान में ला सकते हैं।

यहाँ विजिट करें: http://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Refer_a_Dispute_Make_a_Complaint/

सम्बंधित लिंक्स:

पीआरएसआई के विषय में आगे की, अधिक विस्तृत, जानकारी के लिए, कृपया यहाँ विजिट करें: www.welfare.ie/PRSI

पीआरएसआई योगदान और कक्षाओं के बारे में जानकारी के लिए, कृपया यहाँ विजिट करें: www.welfare.ie/PRSIclasses

यदि आप स्वयं नियोजित हैं और आपको पीआरएसआई पर और जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ विजिट करें: http://www.welfare.ie/en/Pages/Self-Employed-Contributions.aspx

स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए आत्म-मूल्यांकन के संबंध में जानकारी राजस्व की वेबसाइट पर उपलब्ध है; https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/index.aspx

आपके रोजगार अधिकारों और हकों के बारे में और जानकारी कार्यस्थल संबंध आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध है, कृपया यहाँ विजिट करें: www.workplacerelations.ie